न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–176/2020

GCMS NO:- 2020/00330

दायर दिनांक: 15.10.2020

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. मोडू पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. शम्भू पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. महावीरपुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. हेमराजपुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. तुलसीरामपुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. छोटूपुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. नहनूरामपुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. प्रेमपत्नी मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. मीरापुत्री मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. हीरा पुत्रकेशरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. हरजी पुत्रकेशरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. हेमराजपुत्र कान्हा जाति धाकड निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. शोजीलालपुत्र कान्हा जाति धाकड निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. राधेश्यामपुत्र कान्हा जाति धाकड निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. धनराजपुत्र कान्हा जाति धाकड निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
15. फुला बेवाकान्हा जाति धाकड निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
16. खाना पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जरनिवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
17. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 27.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करीरी पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवां में प्रार्थी के आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 437/17–00, 438/01–14, 439/00–02, 440/01–03, 441/01–05 बीघा स्थित है। यह कि ग्राम करीरी पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवां में अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 के आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 436/09–03 बीघा तथा अप्रार्थीगण 11 लगायत 15 के आधिपत्य की भूमि खस[illegible] बीघा स्थित है। यह कि प्रार्थी की भूमि में आने–जाने, हल, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर एवं अन्य [illegible] जाने का रास्ता बामनगांव से करवर जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा संख्या [illegible] संख्या 442/491 व 436 की मेड होता हुआ खसरा संख्या 438, 437 व 439 में पहुंचता है। इस [illegible] का नक्शा परिशिष्ट [illegible] में लाल रंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी 268
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 15 ने 12 फुट चौडे रास्ते में खंभे गाडकर तारबंदी कर रास्ता अवरूद्ध करने लग गये तथा प्रत्यार्थी 6 ने सरकारी भूमि पर जबरन अवैध व अनाधिकृत रूप से बाडा बना लिया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 435, 436 तथा खसरा संख्या 442/491 उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 435 रकबा 1.2135 है0 में से 12•195= 2340 वर्गफीट यानि लगभग 0.0217 है0, खसरा संख्या 436 रकबा 1.4805 में से 6•99= 594 वर्गफीट यानि लगभग 0.0055 तथा खसरा संख्या 442/491 रकबा 0.3802 में से 6•99= 594 वर्गफीट यानि लगभग 0.0055 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 3528 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.0327 है0 है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बालापुरा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम करीरी पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवां में प्रार्थी के आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 437/17–00, 438/01–14, 439/00–02, 440/01–03, 441/01–05 बीघा भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 435 रकबा 1.2135 है0 में से 12•195= 2340 वर्गफीट यानि लगभग 0.0217 है0, खसरा संख्या 436 रकबा 1.4805 में से 6•99= 594 वर्गफीट यानि लगभग 0.0055 तथा खसरा संख्या 442/491 रकबा 0.3802 में से 6•99= 594 वर्गफीट यानि लगभग 0.0055 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 3528 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.0327 है0 है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:19:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner